न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 25/2021

1. प्रेमचन्द पुत्र फुसाराम जाति मेघवाल निवासी 18 बीएलडी द्वितीय, दन्तौर तहः खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. सुगनीदेवी पत्नी चुनीदेवी जाति मेघवाल निवासी फलौदी जिला जोधपुर हाल बज्जू

.....प्रार्थी

1. अयोध्यादेवी पत्नी शंकरलाल जाति तोषनीवाल निवासी काकड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर
2. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :—

1. श्री रफीकशाह विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मनीराम जाखड़ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

—: आदेश :— दिनांक :— 10.04.20232

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील खाजूवाला का चक 18 बीएलडी द्वितीय का मुरब्बा नं0 14/31 के किला नं0 11/2, 12/1, 13/2, 14/1, 17 ता 24 में 2.5288 है0 रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसपर प्रार्थी किला नं0 02 में ढ़ाणी बनाकर काबिज काश्त है। प्रार्थी के किला नं0 21 में ढ़ाणी बनी हुई है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चक 18 बीएलडी द्वितीय के मुरब्बा नं0 14/39 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नं0 14/39 के किला नं0 25 के चिपते हुए दन्तौर से खाजूवाला मुख्य सड़क निकल रही है। प्रार्थी चक 18 बीएलडी द्वितीय के मुरब्बा नं0 14/39 के किला नं0 21 ता 25 में 02—02 बिस्वा का कटान चाहता है। प्रार्थी के मुरब्बा नं0 14/31 में कोई कटानशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी पिछले काफी समय से मुरब्बा नं0 14/39 के किला नं0 21 ता 25 से होकर आता जाता रहता है। लेकिन ये रास्ता कटानी व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अस्थाई होने के कारण प्रार्थी हमेशा आशंकित रहता है कि अप्रार्थी यह रास्ता बंद ना कर दे इसलिए उक्त रास्ता प्रार्थी के आने जाने का एकमात्र सुखाधिकार है। इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि वाके तहसील खाजूवाला का चक 18 बीएलडी द्वितीय का मुरब्ब नं0 14/39 के किला नं0 21 ता 25 में 02—02 बिस्वा पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता स्वीकृत कर कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीराम जाखड़ ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जिसके अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए मु0नं0 14/30 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में से मौके पर रास्ता चालु है। उसी रास्ता से प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है एवं चक 18 बीएलडी के मु0नं0 14/39 के किला नं0 1 ता 25 की 25.00 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि है अप्रार्थी सं0 1 ने मु0नं0 14/39 के किला नं0 25 मे रहवास के लिए ढ़ाणी बना रखी है और खेत में सिंचाई के लिए 130 X 130 वर्गफीट की डिग्गी बना रखी है जिससे किला नं0 25 में मौके पर खाली जगह ही नहीं बची हुई है इसलिए किला नं0 25 में रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी ने मु0नं0 14/31 के किला नं0 25 के काश्तकार को पक्षकार बनाया ही नहीं है न ही उससे रास्ता मांगा है इसलिए प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय मं नहीं आया है है। केवल मात्र मुख्य सड़क को अपरोच करने के लिए मनगढ़त व झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। मु0नं0 14/31 के किला नं0 1 ता 14 की 14.00 बीघा भूमि प्रार्थी की पत्नी के नाम से है और मु0नं0 14/30 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो जिसकी दूरी मात्र 5.00 बीघा है जबकि मु0नं0 14/39 के किला नं0 21 ता 25 से प्रार्थी के रकबे की दूरी 6.00 बीघा दूर है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छोटे से छोटा रास्ता प्रार्थी को दिया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जाने योग्य है।

पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की गई रिपोर्ट के मुताबिक 18 बीएलडल द्वितीय के मु0नं0 14/39 किला नं0 21 ता 25 तादादी 5.00 बीघा अयोध्यादेवी पत्नी शंकरलाल जाति तोषनीवाल साकिन काकड़ा खातेदार है एवं रहन एमजीबी शांखा दन्तौर है किला नं0 20/0.10, 21/0.10, में मूंग की फसल बोयी हुई है। किला नं0 25 में 50 बाई 50 फीट आवासीय ढ़ाणी बनी हुई है व ट्यूबबैल खुदा है शेष किला नं0 25 खाली है। मु0नं0 14/39 में पूरे पर चारों और मौके पर तारबन्दी करवा रखी है आने जाने हेतु किला नं0 16 में फलसा(लकड़ी का गेट) लगा हुआ है मु0नं0 14/31 में किला नं0 11/2, 12/1, 13/2, 14/1, 17 ता 24 कुल 2.5288 है0 प्रेमचन्द की खातेदारी दर्ज है। किला नं0 24 के बाद किला नं0 25 में प्रेमचन्द की खातेदारी दर्ज नहीं है। प्रेमचन्द ने रजिस्ट्री पेश की है कि किला नं0 25 में मेरे नाम रजिस्ट्री करवा रखी है। जबकि जमाबन्दी में किला नं0 25 सुगनीदेवी पुत्री चुनाराम कौम मेघवाल साकिन देशनोक तहसील फलौदी जिला जोधपुर पुख्ता आवंटन दर्ज है। मु0नं0 14/31 के उत्तर दिशा में कटानी रास्ता किला नं0 21 ता 25 तक ही है मु0नं0 14/30 में कोई कटानी रास्ता नहीं है। मु0नं0 14/47 के किला नं0 21/1 में 0.10 बीघा गै0मु0 सड़क है जो मौके पर भी है।

अप्रार्थी अयोध्यादेवी पत्नी शंकरलाल जाति तोषनीवाल निवासी काकड़ा तहः नोखा जिला बीकानेर ने प्रार्थनापत्र सुनवाई स्थगित बाबत् प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर सुना गया। उक्त प्रार्थनापत्र के तथ्यों के संबंध में अवलोकन अध्ययन कर सक्षम स्तर से इस पत्रावली में स्थगित बाबत् आदेश न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगन बाबत् प्रा0पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाकर। मूल रास्ता प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थनापत्र के कथनों दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है एवं अप्रार्थी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 18 बीएलडी मु0नं0 14/39 के किला नं0 21 ता 25 प्रत्येक में चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 2–2 बिस्वा कुल 10 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थी से नियमानुसार जमा करवाकर अप्रार्थी को देवे एवं नियमानुसार उक्त रास्ता का अंकप राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)